



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-

1397

दिनांक

22/7/22

## विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री चंदा देवी द्वारा जविप्रा की विद्याधर नगर योजना के भूखण्ड संख्या 2/91 के फ्री होल्ड पट्टे हेतु विक्रय पत्र दिनांक 21.05.1999, आवंटी श्री बजरंग सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन श्री बजरंग सिंह को किया गया था।

अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्ड की लीजडीड / फ्री होल्ड पट्टे की कार्यवाही किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद आवेदिक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन-2  
जविप्रा, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

PRG/R-1002  
25/7/22



75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

150  
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी- 2016

दिनांक 18/7/2022

## विज्ञापित

ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 293, 289/576, 290, 294, 295, 296, 291, 297, 298 कुल किता 9 कुल रकबा 12.96 हैक्टेयर भूमि बाबत खातेदार श्री हरिकिशन, राधेश्याम, सीताराम, हरिनारायण, बिहारीलाल, मदन सिंह, गोपाल लाल, बृजेश चौधरी द्वारा भूमि को आवासीय योजना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 के तहत उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार उत्पन्न होने से खातेदारान् द्वारा समर्पित भूमि की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी के तहत प्रकरण संख्या 41/2010 दिनांक 28.06.2010 को आदेश जारी किया गया था। खातेदार द्वारा ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 293, 289/576, 290, 294, 295, 296, 291, 297, 298 कुल किता 9 कुल रकबा 12.96 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना मानचित्र अनुमोदन करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जविप्रा की बीपीसी (एलपी) की 297वी बैठक दिनांक 15.03.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की क्रियान्विति हेतु किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो विज्ञापित प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद आवेदक के पक्ष में नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। बाद मियाद कोई आपत्ति/सुझाव स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।

उपायुक्त, जोन-8

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन - 8  
जयपुर उपायुक्त जोन-8  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 4062

दिनांक:- 21/7/2022

## सार्वजनिक विज्ञप्ति

आवेदक श्री कैलाश नारायण मीना, लक्ष्मी नारायण मीना, फुलचंद मीना, गोपाल मीना पुत्रान श्री जगदीश नारायण मीना निवासी नीमराज का बाग, खोनागोरियान, दांतली तहसील सांगानेर जयपुर द्वारा ग्राम खो-नागोरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 4470, 4471 एवं 4473 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि का 90-ए निर्णय दिनांक 17.03.2021 को आवासीय प्रयोजनार्थ पारित किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित 90-ए शुदा भूमि पर आवासीय योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपायुक्त, जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

11  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

PRGR-492  
25/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी-4090

दिनांक-23-7-2022

## सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल व.ग.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	बी-152	227.95 व.ग.	बुद्ध विहार	श्री दीपक गर्ग पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर गर्ग	श्री शांति कुमार सेठी एण्ड संस एच.यू.एफ. जरिये कर्ता शान्ति कुमार सेठी	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपस्थित जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

उपस्थित जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

PRJ/R-993  
23/7/2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी-4093

दिनांक-23/7/22

## सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	डी-42	395.37 व.ग.	श्री राम विहार साउथ (निजी खातेदारी)	श्रीमती दिखिता दत्ता सुरेलिया दिनेश सुरेलिया दिखिता सुरेलिया	श्रीमती सीमा शेखावत पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	विक्रय पत्र एवं मृत्यू पश्चात नाम हस्तांतरण के आधार पर।
2	156	150.00 व.मी.	निलय कुंज (जविप्रा)	श्रीमती सुनिता बैराठी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र बैराठी	श्री रमेश चन्द्र बैराठी	मृत्यू पश्चात पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामहस्तांतरण हेतु।
3	जीएच-3	5294.57 व.मी.	निलय कुंज (जविप्रा)	श्रीमती सुनिता बैराठी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र बैराठी	श्री रमेश चन्द्र बैराठी	मृत्यू पश्चात पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामहस्तांतरण हेतु।
4	99	225.00 व.मी.	निलय कुंज (जविप्रा)	श्रीमती सुरभि लडीवाल पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र बैराठी	श्री रमेश चन्द्र बैराठी	मृत्यू पश्चात पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामहस्तांतरण हेतु।
5	1	3312.50 व.मी.	निलय कुंज (जविप्रा)	श्रीमती सुरभि लडीवाल पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र बैराठी	श्री रमेश चन्द्र बैराठी	मृत्यू पश्चात पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामहस्तांतरण हेतु।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 2069

दिनांक:- 23/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	04	रामद्वारा कॉलोनी-द्वितीय (पटेल नगर गृ.नि.स.स.लि.)	श्री नानक चन्द सेजवानी पुत्र श्री केशुमल सेजवानी एवं श्री नरेश सेजवानी पुत्र श्री नानक चन्द सेजवानी	श्री कन्हैयालाल जी शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर शर्मा	अपंजीकृत मु0आम दिनांक 30.01.2013 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

PR/ R-995  
23/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2139

दिनांक:- 23/7/2022

## विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना झालाना फेज-II के भूखण्ड संख्या-बी-34 का आवंटन पत्र श्री सुवालाल पुत्र श्री नाथूलाल को किया गया था। श्री सुवालाल पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा अपंजीकृत इकरारनामे श्री विजय लाल पुत्र श्री प्रहलाद को किया गया। श्री विजय लाल द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री कुशहाल राम को किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

६०

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

### प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करें।

६

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-996  
25/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2140

दिनांक:- 23/7/2022

## विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना झालाना फेज-III के भूखण्ड संख्या-डी-71 का आवंटन पत्र श्री नाथूराम पुत्र श्री कानाराम को किया गया था। श्री नाथूराम पुत्र श्री कानाराम द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा श्रीमती दाफा देवी पत्नी श्री मोतीलाल रैगर को किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती दाफा देवी पत्नी श्री मोतीलाल रैगर उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

### प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-997  
25/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2141

दिनांक:- 23/7/2022

## विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना झालाना फेज-III के भूखण्ड संख्या-जीएफ-155 का आवंटन पत्र श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री लालचन्द को किया गया था। श्रीमती चन्दा देवी द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा श्रीमती प्रेमलता मीणा पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मीणा को किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती प्रेमलता मीणा पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मीणा उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

## प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

PR-998  
25/7/22

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 2143

दिनांक:- 23/7/2022

## विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या-सी-68 का नामहस्तान्तरण पत्र श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना पुत्र श्री जे.ए. सक्सैना को किया गया था। श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना पुत्र श्री जे.ए. सक्सैना की मृत्यु दिनांक 28.12.2001 मृत्यु प्रमाण पत्र में होना अंकित है। उनके कुल 02 वारिस (1) श्री अनुराग कुमार पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपनी माताश्री श्रीमती रजनीबात पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना को अपना हिस्सा किया गया। श्रीमती रजनीबात पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री विनित कामरा पुत्र श्री हरिसिंह कामरा को बेचान किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्री विनित कामरा पुत्र श्री हरिसिंह कामरा उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र/पट्टा जारी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

20

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।


### प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

PR/R-999  
25/7/22

★

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 2144

दिनांक:- 23/07/2022

## विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या-डी-48 का आवंटन श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा को किया गया था। श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा द्वारा मुख्तयारनामा आम (1) श्री संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द शर्मा को किया गया है। संजीव कुमार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (2) श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री प्रदीप शर्मा को बेचान किया गया। श्रीमती मधु शर्मा द्वारा बेचान (3) श्रीमती कल्पना जैन को किया गया। श्रीमती कल्पना जैन द्वारा मुख्तयानामा आम मैसर्स ए.डी.कन्सीटेन्शन जरिए निदेशक श्री अशोक कुमार को किया गया। मैसर्स ए.डी.कन्सीटेन्शन जरिए निदेशक श्री अशोक कुमार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वेजनाथ धवन को किया गया। श्री शशी धवन की मृत्यु दिनांक 18.12.2004 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। श्री पुनित धवन व सुमित धवन पुत्रान् श्री शशि धवन द्वारा उपहार पत्र अपंजीकृत पत्र में अपना अपना हिस्सा श्री सुदर्शन कुमार धवन को किया गया है। श्री सुदर्शन कुमार धवन द्वारा रजिस्टर्ड उपहार पत्र श्रीमती संगीता धवन पत्नी श्री सुदर्शन कुमार धवन के पक्ष में किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्री विनित कामरा पुत्र श्री हरिसिंह कामरा उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र/पट्टा जारी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

80

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

### प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

PRO/R-1000  
25/7/22

+

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 2145

दिनांक:- 23/07/2022

## विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना झालाना फेज-III के भूखण्ड संख्या-ए-122 का आवंटन पत्र श्री रामसहाय पुत्र श्री लादूराम को किया गया था। श्री रामसहाय द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा श्री रामकरण पुत्र श्री कल्याण सहाय को किया गया। श्री रामकरण पुत्र श्री कल्याण सहाय द्वारा अपंजीकृत श्री रामावतार सैन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैन को किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्री रामावतार सैन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैन उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

### प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-1/का  
25/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 1398

दिनांक 22/7/22

## विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमाकांत धानका द्वारा सैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राधागोविन्द कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 34 के नाम हस्तान्तरण हेतु लीज धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान द्वारा किये गये हक त्याग पत्र दिनांक 22.3.2018 के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड की लीजडीड श्री श्याम सुन्दर धनाका के पक्ष में जारी की गई है।

अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन-2  
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555

PRO/R-1003  
25/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 1416

दिनांक 23/7/22

## विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल द्वारा शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर (अम्बाबाडी) के भूखण्ड संख्या 148 के लीज होल्ड पट्टे हेतु समिति के आवंटन पत्र, रसीद, शपथ पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन समिति द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह चौहान के पक्ष में जारी किया गया है एवं उक्त आवंटन के पीछे समिति द्वारा भूखंड का स्थानान्तरण आवेदक के नाम से किया गया है, समिति के आवंटन पत्र में भूखंड संख्या 148 अंकित है एवं संलग्न किये गये इकरारनामों दिनांक 20.7.1980 में भूखंड संख्या 146 अंकित है। आवंटन पत्र में भूखंड संख्या में काटछांट पाई गई है।

अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्ड के नियमन की कार्यवाही किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन करीकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन-2  
जयपुर  
उपायुक्त, जोन-2  
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555

PRO/R-1004  
23/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1576

दिनांक 25/7/22

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थिया श्रीमती हलीमा बेगम द्वारा भूखण्ड संख्या 18-बी योजना जसवन्त नगर का उपविभाजन करते हुए पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का सहकारी समिति द्वारा आवंटन पत्र श्रीमती जरीना को किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती जरीना द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री अब्दुल हमीद एवं श्री फिरोज खान को किया गया है। श्री फिरोज खान द्वारा अपने 1/2 हिस्से को पंजीकृत उपहार पत्र से श्रीमती हलीमा बेगम को उपहार किया गया है। प्रार्थिया द्वारा अपने 1/2 हिस्से का उपविभाजन चाहा गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

- Sd.

उपायुक्त जोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO/R-1007  
25.7.22

उपायुक्त (जोन-7)  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1575

दिनांक 25-7-22

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थिया श्रीमती कृष्णा जाटव द्वारा भूखण्ड संख्या 27 योजना हीरा नगर-ए का पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड का आवंटन कृष्णा सिंह पुत्री श्री जी.पी. सिंह को किया गया था। सदस्यता सूची में कृष्णा सिंह का नाम अंकित है। कृष्णा सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उनके द्वारा सादे पेपर पर अपंजीकृत वसीयत श्री राजीव कुमार सिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी है। श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा भूखण्ड को पंजीकृत उपहार पत्र के माध्यम से उपहार किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sid-

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO/R-1006  
25/7/22

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



यू.ओ.नोट

विषय : निजी खातेदारी की योजना शहीद चन्द्र शेखर आजाद कॉलोनी ग्राम बदनपुरा के भूखण्डधारियों की सूची प्रकाशित करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी खातेदारी की योजना शहीद चन्द्र शेखर आजाद कॉलोनी ग्राम बदनपुरा के खसरा नं. 45, 46, 47, 55, 56, 61, 53, 54, 58, 59, 60, 62 में सृजित है। प्रश्नगत योजना का निकट भविष्य में आंवटन हेतु नियमन कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित है। कैम्प हेतु योजना के भूखण्डधारियों की सूची तैयार कर भिजवायी जा रही है। जिसको दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने का श्रम करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

२

उपस्थित, जॉन-२  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा / जॉन-२ / 2022 / डी- 1418

दि 25.7.2022

MR-1005  
25/7/22



न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-2  
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-

दिनांक

आम सूचना

शहीद चन्द्र शेखर आजाद कॉलोनी विकास समिति की योजना शहीद चन्द्र शेखर आजाद कॉलोनी के निम्नांकित भूखंडों की उप रजिस्ट्रार (सहकारिता) प्रकोष्ठ से प्राप्त सदस्यता सूची के अनुसार नियमन संबंधी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

क.सं.	भूखंडधारी का नाम	भूखंड संख्या
1.	श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा	01
2.	श्री कालु राम पुत्र श्री छोटुराम मीणा	02
3.	श्री पांचु राम, तोफान पुत्र श्री श्रवण लाल मीणा	03 A
4.	श्री कमल कुमार मीणा पुत्र श्री रेवडराम मीणा	03 B
5.	श्री रामजीलाल मीणा पुत्र श्री आशाराम मीणा	03 C
6.	श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री रामवतार	04
7.	नाम मालुम नहीं	05
8.	नाम मालुम नहीं	06 A
9.	नाम मालुम नहीं	06 B
10.	श्रीमती कमला देवी मीणा पत्नि श्री गोविन्द नारायण	07
11.	श्रीमती नानगी देवी पत्नि स्व० सोहन लाल	08
12.	शिव मन्दिर	09
13.	नाम मालुम नहीं	10
14.	नाम मालुम नहीं	10 A
15.	श्रीमती प्रितम कंवर पत्नि श्री नन्द किशोर झाला	11
16.	नाम मालुम नहीं	12
17.	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा	13
18.	श्री ठाकरसी मीणा पुत्र श्री रामचन्द्र	13 A
19.	नाम मालुम नहीं	14
20.	श्री चेतन सिंह पुत्र श्री धन सिंह	15
21.	श्री इन्द्र लाल सैन पुत्र श्री हुकमा राम	16

PRO/R-1005  
25/7/22

22.	श्री राजेश खण्डेलवाल पुत्र स्व० रामगोपाल	17 A
23.	श्रीमती उर्मिला खण्डेलवाल पत्नि स्व० मनमोहन पुत्रवध स्व० रामगोपाल खण्डेलवाल	17 B
24.	श्रीमती प्रेम देवी जांगिड पत्नि श्री जगदीश	18
25.	श्रीमती रजनी देवी पत्नि श्री प्रेम सिंह	18/1
26.	श्रीमती मंजु शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र शर्मा	18 A
27.	श्री कजोड मल पुत्र श्री प्रभात राम	18B
28.	श्री किशन लाल मीणा पुत्र श्री पांचु राम	19
29.	श्री ओम प्रकाश , लक्ष्मीनारायण ,बाबुलाल पुत्र स्व० महादेव प्रसाद मीणा	20
30.	श्री लोकेश ,श्री रमेश ,श्री रामजीलाल पुत्र स्व० जगदीश,माताजी स्व० बंसन्ती देवी	20A
31.	श्रीमती राजदेवी पत्नि श्री रामेश्वर मीणा	21
32.	श्री भौरीलाल मीणा पुत्र श्री किशन लाल	22
33.	श्रीमती गुलाब देवी मीणा पत्नि श्री पुरण मल पुत्रवधु स्व० सुरजाराम	23
34.	नाम मालुम नही	24
35.	श्रीमती मोहनी देवी पत्नि स्व० नानगराम	25
36.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा	26
37.	श्रीमती सरोज खडका पत्नि श्री बलराम सिंह	27
38.	श्रीमती किरन मेहरा पत्नि श्री देवकी नन्दन	27A
39.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री गोविन्द नारायण मीणा	28
40.	श्रीमती मीरा देवी पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा	29
41.	श्रीमती भौरी देवी पत्नि श्री राधेश्याम	30
42.	श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री बंशी लाल मीणा	31
43.	श्रीमती जरीना बेगम पत्नि श्री अब्दुल गन्नी	31A
44.	श्री नरेश मीणा,राजेश मीणा पुत्र श्री बंशी लाल मीणा	32
45.	श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री नारायण मीणा	32A
46.	श्री उम्मेद सिंह योगी पुत्र श्री सरदार सिंह	33 ,33 A
47.	श्रीमती मोती देवी पत्नि श्री जगदीश नारायण	34
48.	श्रीमती भगवती देवी पत्नि श्री रमेश नागर	41A
49.	श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री रामबाबू	41B
50.	श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री श्यामलाल	41C

PRD/R/1005  
25/7/22

51.	श्रीमती रामप्यारी पत्नि स्व० कल्याण सहाय पुत्र श्री कालु राम	42
52.	श्रीमती रामप्यारी मीणा पत्नि स्व० कल्याण सहाय	43
53.	श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम	44
54.	श्री शम्भू सिंह राजावत पुत्र श्री शंकर सिंह	45 A
55.	श्री राकेश कुमार टेलर पुत्र श्री रामगोपाल	45B
56.	श्री विक्रम कुमार पुत्र श्री देव प्रकाश	45C
57.	नाम मालुम नही	46
58.	श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह	46A
59.	श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री पूरण सिंह	47
60.	श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री शिवदयाल	48

उक्त भूखंडों के नियमन संबंधी कार्यवाही करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवे। नियम अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त होने पर नियमानुसार उक्त भूखंडों के नियमन संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

*(Signature)*

उपायुक्त जोन'-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :-

- उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

*(Signature)*

उपायुक्त जोन'-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

*Peer R-1005  
25/7/22*





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

## सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री घनश्याम जांगिड पुत्र श्री गोपाल लाल जांगिड मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना कीर्ति सागर-आई	07	650.58

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

M

उपायुक्त  
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-1561/21.7.22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\urwind\WIGYAPTI JOINT.docx



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-आम सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द नगर के भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 216.66 श्रीमती पारूल गोयल पत्नी श्री सुनिल कुमार गोयल एवं भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 216.66 श्रीमती रितु गोयल पत्नी अनिल कुमार गोयल द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आंशिक भाग ग्राम बदरवास के खसरा नं. 90 प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

PR 779  
22/7/22

4

उपायुक्त,  
पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी-1539  
दिनांक:- 21/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दी शिवा कॉ-आपरेटिव हा. सासोयटी लि. की योजना 6डी इजीनियर्स कॉलोनी वाई ब्लॉक के भूखण्ड संख्या वाई-11, वाई-12, वाई-13, वाई-14 द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड ग्राम मान्यावास के खसरा नं. 273/438 रकबा 0.0700 किस्म गै.मु. व 274 रकबा 0.0600 किस्म गै.मु. चाह में सृजित होना पाया गया है। उक्त खसरा नम्बरो को योजना में शामिल किया जा रहा है, खसरा नम्बर वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

PR 0 R 781  
22/7/22

h

उपायुक्त,  
पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी- 1539

दिनांक:- 20/7/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7  
Aardika  
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3442 दिनांक:- 19.7.2022

## :-सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	कानाराम पुत्र श्री बालूराम चौधरी (हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना गणपति एनक्लेव)	54	270.00
2	दौलत राम जागिड पुत्र श्री चिम्मन लाल जागिड (मीनावाला गृ.नि.स.समिति की योजना कीर्ति सागर-एफ ब्लॉक)	F 9 D	145.27
X	सन्तोष परिहार पत्नी श्री सुशील परिहार एवं सुशील परिहार पुत्र श्री पी.एल. परिहार (श्यामपुरी गृ.नि.स.समिति की योजना श्याम नगर)	63	193.33

॥

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

॥  
उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7  
Aesthica  
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 3346 दिनांक:- 19.7.2022

## -:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	प्रीति अग्रवाल पत्नी श्री नवीन अग्रवाल (श्यामपुरी गृ.नि.स.समिति की योजना श्याम नगर)	63A	193.33
2	हर्ष जैन एचयूएफ पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जैन (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.समिति की योजना मॉडल टाउन)	17	228.00

PRO R 783  
32/7/22

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।  
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-

-सार्वजनिक सूचना:-

1007

दिनांक:-

19.7.2022

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	रामराज गुर्जर/रजन गुर्जर (श्री महावीर स्वामी गू0 नि0 स0स0लि0की योजना-बीना कॉलोनी)	12	111
2	संगीता देवी/बाबूलाल शर्मा (श्री महावीर स्वामी गू0 नि0 स0स0लि0की योजना-अरिहन्त वारिका)	82	266.66
3	रविकान्त/ज्ञानचन्द्र (श्री लक्ष्मी गू0 नि0स0स0लि0की योजना-बजरंग कॉलोनी)	2ए	200
4	राजेश यादव/रामप्रसाद यादव (श्री महावीर स्वामी गू0 नि0 स0स0लि0की योजना-बीना कॉलोनी)	बी-14	117.33
5	मंगली देवी/शिवपाल (श्री शिवा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 की योजना-अयोध्या नगर)	सी-185	200
6	कविता/श्यामसुन्दर (टैगोर नगर गू0 नि0 स0स0लि0की योजना-पवन पुत्र ए)	28	189
7	सुरेन्द्र सिंह शेखावत/नाहर सिंह (सुरजपोल गेट गृह विकास स0स0लि0की योजना-श्यानाथ विहार)	सी-7	126
8	रेखा देवी/अशोक कुमार सिंह (श्री लक्ष्मी गू0 नि0 स0स0लि0की योजना-मां हिंगलाज नगर-बी)	59	200

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक शांकर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11  
जविप्रा, जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ.नोट

विषय:- निजी खातेदारी योजना न्यू कालोनी ग्राम झोटवाडा की सदस्य सूची का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी खातेदारी योजना न्यू कालोनी ग्राम झोटवाडा का नियमन शिविर आयोजित किया जाना है। इस हेतु उक्त योजना की सदस्य सूची का दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत सदस्य सूची यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
उपसुमसुतो जोन-6-6  
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/22/डी- 2238  
दिनांक 22/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

# न्यू कॉलोनी विकास समिति, झोटवाड़ा

27, न्यू कॉलोनी (पंखा), कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर

फोन:- 9785004146, 7597624551, 7014688326, 9828148976

क्रमांक.....*SR*.....

दिनांक.....

विकास समिति का नाम:- न्यू कॉलोनी विकास समिति, झोटवाड़ा, जयपुर

कॉलोनी का नाम:- न्यू कॉलोनी

क्र. स.	सदस्य/भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति नाम	प्लॉट संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गगज)	फोन नं.
1	-----	-----	1	200	-----
2	-----	-----	2	133	-----
3	श्रीमती कैलाश कंवर	पति श्री लक्ष्मण सिंह नाथावत	2-ए	133	9829005351
4	श्री कालीचरण शर्मा	स्व. श्री गंगाराम	3-ए	100	6967520637
5	श्री दुर्गालाल शर्मा	स्व. श्री रामसहाय शर्मा	3-बी	100	7597683136
6	श्री मनोज गुप्ता	स्व. श्री मालीराम गुप्ता	4-ए	100	8949295422
7	श्री रामप्रसाद इन्दोरिया	स्व. श्री चतुर्भुज शर्मा	4-बी	100	7597624551
8	श्रीमती कल्पना टांक	श्री सुरेशचन्द्र टांक	5	200	653017585
9	श्रीमती बैकुण्ठी देवी	श्री मदनलाल शर्मा	6	100	9950694377
10	श्री मदनलाल	स्व. श्री तोहीराम	7-बी	200	6350279846
11	श्रीमती नेम कंवर	श्री सायंर सिंह	7	100	9413748714
12	-----	-----	8	200	-----
13	श्रीमती सोनी देवी	स्व. श्री मोहन टांक	9	338	8278682998
14	श्री कमरुद्दीन	श्री जमालुद्दीन	10	222	9828148976
15	श्रीमती अरुणा देवी	स्व. श्री सुन्दरलाल पालीवाल	11	200	9828148976
16	श्रीमती सुशीला देवी पालीवाल	स्व. श्री विरेन्द्र पालीवाल	12	200	9982306023
17	-----	-----	13	200	-----
18	श्री रोशन कुमावत, मोहन कुमावत	श्री स्व. श्री मालचन्द कुमावत	14	200	9887055705
19	-----	-----	15	200	-----

*अध्यक्ष*

काँग्रस

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा

*अध्यक्ष*

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा जयपुर (राज.)

*अध्यक्ष*

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा

P-10

स्थापित 1982

# न्यू कॉलोनी विकास समिति, झोटवाड़ा

27, न्यू कॉलोनी (पंखा), कालवाड़ा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर

फोन:- 9785004146, 7597624551, 7014688326, 9828148976

क्र.सं.	श्रीमती पुष्पलता	श्री बद्रीनारायण	16	100	9414394978
19	श्रीमती शिला शर्मा	स्व. डा. आर.बी. शर्मा	17-ए	100	9414775335
20	श्री प्रभुलाल बुनकर	श्री खेमराज	17-बी	100	8387087715
21	श्रीमती मुन्नी देवी	श्री मोतीलाल शर्मा	18-ए	95	7891343639
22	श्रीमती अमिता शर्मा मधुबाला सुरोलिया	श्रीमती श्री राजेश शर्मा श्री कमलेश कुमार सुरोलिया	18-बी	95	7014995665
23	श्री मालीराम	श्री कालूराम	19	66.66	9550037677
24	श्रीमती ललिता देवी	श्री सुरेश कुमार सोनी	19	66.66	9772313410
25	श्रीमती सन्तोष	श्री नटवरलाल	20-ए	100	8952876524
26	श्रीमती गोपाली देवी	श्री राधामोहन बड़ाया	20	100	9079806871
	-----	-----	21	200	0
27	श्रीमती रामेश्वरी देवी	श्री नाथुलाल	22	275	0
28	श्री वेदप्रकाश, भोमराज, हरीशचन्द	श्री रमेशचन्द काला	23	320	7427838098
29	श्री प्रभुदयाल श्री जगदीशप्रसाद	श्री घीसाराम	24	150	8690744521
30	श्री शंकरलाल	श्री मुलचन्द	25	150	-----
31	-----	-----	26	300	-----
32	श्रीमती शांती देवी	श्री रामप्रसाद इन्दोरिया	27-ए	200	7597624551
33	श्रीमती ओमकंवर	श्री लक्ष्मण सिंह जोधा	27	200	9785004146
34	श्री नन्द सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्रीमती मूनिकंवर, गोपाल सिंह	स्व. श्री मदन सिंह	28	200	9785004146
35	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	स्व. श्री मथुराप्रसाद	29	200	9057284419
36	श्रीमती आशारानी	स्व. श्री रामबाबु शर्मा	30-बी	100	9928098076
37	-----	-----	30	100	-----
38	-----	-----			-----

दिनांक.....

*(Handwritten Signature)*

अध्यक्ष

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा  
कालवाड़ा रोड (पंखा) झोटवाड़ा जयपुर (राज.)

*(Handwritten Signature)*


अध्यक्ष / मंत्री  
अध्यक्ष

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा  
कालवाड़ा रोड (पंखा) झोटवाड़ा जयपुर (राज.)

*(Handwritten Signature)*

मंत्री

न्यू कॉलोनी विकास समिति झोटवाड़ा  
कालवाड़ा रोड (पंखा) झोटवाड़ा जयपुर (राज.)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urbanrajasthan.gov.in

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3425 दिनांक:- 15-7-2022

## —:सूचना:—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती सीता शर्मा पत्नी स्व. श्री श्रवण लाल शर्मा (रामराजपुरा गृ.नि.स.समिति की योजना कनक विहार)	41	185.83
2	श्री राकेश जांगिड पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जांगिड (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना सुखिजा विहार-ए)	71	166.00

P-R-0-R-784  
22/7/22

॥  
उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैंक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/जोन-08/2022/डी-2063

दिनांक : 22/7/2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय :- 90 ए की लोक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय की जारी अधिसूचना  
डी. 2064 दिनांक 22/4/22 पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा  
रही है। संलग्न अधिसूचनाओं को 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का  
श्रम करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

R-990  
25/7/22

खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। नोटिस आज दिनांक 22/7/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

  
प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

सुझाव R-990  
25/7/22

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जौन-08/2022/डी-2064

दिनांक 22/7/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

### लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारीसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूरज नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ति हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व
हाज्यावाला तहसील सांगानेर	5 से 8, 9/1, 10, 11	2.57 है0	सूरजकरण पुत्र गुल्ला जाति बागड़ा, सा.देह खातेदार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले

PR/R-990  
25/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101989

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्रीमति MANBHAR DEVI पत्नी श्री NATHU LAL VERMA जाति RAIGER निवासी 12, SHREE RAM NAGAR COLONY, WARD NO 39, SANGANER BAZAR, SANGANER, JAIPUR-302029


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	MANBHAR DEVI	242/95	3277	0.3277
कुल					0.3277

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 11/2012-JDA/2022-23/101951

दिनांक: 22/07/2022

### लोक सूचना

वेसले जेठे रियल एस्टेट एण्ड विल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की मूलाधार: मातंग कार्यालय कारा 58, चन्द्र वाटिका-सी, नवशिवराज रोड, वैशाली नगर, जयपुर व मोतीराम चौपड़ा पुत्र श्री नारायण चौपड़ा निवासी 47, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर में हुए आवासीय के लिये उपलब्धभूत भूमि का आवासीय उपयोग हेतु उपरोक्त भूमि के अगले प्रतिपक्षी प्रयोजन के निश्चय के लिए आवेदन प्रस्ताव दिया है अर्थात्

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
1	विन्हाडफला जयपुर (जयपुर)	वेसले जेठे रियल एस्टेट एण्ड विल्डर्स कार्यालय कारा 58, चन्द्र वाटिका-सी, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर	607	0.6475
2	मोतीरामजयपुर, जयपुर (जयपुर)	मोतीराम चौपड़ा पुत्र श्री नारायण चौपड़ा	118/117	0.1518
		निवासी 47, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर	120/61	0.3415
<b>कुल किता</b>			<b>3</b>	<b>1.1383 हेक्टर</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान नगर-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्णतः प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसाएसाओ आईसी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22-07-2022 को जारी की गयी।

  
 प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/101951

दिनांक : 22/07/2022

लोक सूचना

मैसर्स राधे रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री भूलचन्द यादव कार्यालय पता 58, चन्द्र वाटिका-सी, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर व मोतीराम चौपडा पुत्र श्री नारुराम चौपडा निवासी 47, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
1.	विन्दायका, जयपुर (जयपुर)	मैसर्स राधे रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स कार्यालय पता 58, चन्द्र वाटिका-सी, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर	607	0.6475
2.	महाराजपुरा, जयपुर (जयपुर)	मोतीराम चौपडा पुत्र श्री नारुराम चौपडा निवासी 47, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर	118/117 120/61	0.1516 0.3415
कुल किता			3	1.1383 हेक्टर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आपेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आपेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आपेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आपेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22-07-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर